उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या–258 /XXVII(6)/2012
देहरादूनः दिनॉकः 27 जून, 2012

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनोपरान्त संस्तुत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 5400 में नियमित रूप में प्रोन्नति करते हुये 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखते हुये वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन पदनाम
1	डा0 विजय लक्ष्मी,	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, मुख्यालय देहरादून। वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4800	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे 5400
2.	श्री विपिन चन्द्र जोशी,	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी,सम्वर्ती सम्परीक्षा, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्व विद्यालय (सामान्य लेखा) पन्तनगर उधमसिंह नगर। वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4800	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे 5400
3.	हीरा सिंह धपोला,	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सम्वर्ती सम्परीक्षा, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय (सामान्य लेखा) पन्तनगर उधमसिंह नगर। वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4800	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे 5400
4.	बाला दत्त पलड़िया,	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, सम्वर्ती सम्परीक्षा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उधमसिंह नगर। वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे 4800	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वेतनमान रू0 15600–39100 ग्रेड पे 5400

उपरोक्त उल्लिखित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब नवीन पद का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवाएं सह स्टेट इण्टर्नल ऑडिटर उत्तराखण्ड देहरादून एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

प्रेषक,

संख्याः 303 /नि0को0वि0से0/2012

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग,
23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

दिनांक : 30/4 /2012

विषय : **लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों को पदोन्नति से भरे जाने हेतु अधियाचन प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

इस निदेशालय के अधीनस्थ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के जिला सम्परीक्षा अधिकारी के पद लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले रिक्त पदों को चयन वर्ष 2011-12 हेतु पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 2003 के अनुसार की जानी है। पदोन्नति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के परामर्श से शासन स्तर से सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित संवर्ग का पदोन्नति से भर्ती का अधिचायन दो प्रतियों में संलग्न करके प्रेषित किया जा रहा है।

अतः कृपया संलग्न अधियाचन के आधार पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिला सम्परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन कराने का ष्ट करें।

ग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक।

दिनांक उपरोक्त। 303(1) 30/4/12

सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक।

V.L.

प्रपत्र–2

विभाग नामः– **निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इण्टरनल आडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

2– विवरण :– (क) श्रेणी ग्रेड जिसमें पदोन्नति की जानी है।	सेवा का नाम	वेतनमान एवं ग्रेड पे	श्रेणी में पदों की संख्या	वर्ष की स्थान सामान्य अवधि के दौरान रिक्त स्थान (प्रत्यापित स्थानों को सम्मिलित करके)				सभी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जानी हैं
				सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	योग	
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग	15600–39100 ग्रेड पे 5400	11 पद (50 प्रतिशत पदोन्नति हेतु 06 पद)	04	02	–	06	हॉ

टिप्पणी : क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार है, यदि हॉ तो रोस्टर के कमांक को स्पष्ट किया जाय।

विवरण संलग्न – एक

1. जिस प्रकार रिक्तियां होती है तो उसका ब्यौरा स्थान रिक्त होने के दिनांक सहित एवं पूरक विवरण पत्र में दिया जाना चाहिए।	**विवरण संलग्न – दो**
2. (क) पिछली चयन समिति का विवरण	
(ख) बैठक का दिनांक	04.03.2011
(ग) पदोन्नति के लिये चुने गये व्यक्तियों की संख्या	05
(घ) ऊपर (1) पर उल्लिखित दिनों/दिनांक में वास्तव में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की संख्या :–	01
(च) क्या बैठक का कार्यवृत्त आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था? यदि हॉ, तो आयोग का पत्र संख्या व दिनांक उद्धृत कीजिए।	हॉ।
3. क्या भर्ती के नियम बनाये गये हैं? यदि हॉ तो उसकी एक अद्यावधिक प्रति संलग्न किजिए।	हॉ। नियमावली संलग्न है।
4. यदि भर्ती के नियम नहीं बनाये गये है तो :–	
(क) क्या आयोग पद को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए सहमत हो गया है?	लागू नहीं।
(ख) क्या कोई ऐसा अनुपात निर्धारित है जिसके अनुसार (क) के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में	नहीं।

पदोन्नति की जानी है ?	
5. पात्रता का क्षेत्र (क) पदो के वर्ग जिसमें पदोन्नति की जानी है।	स्थायी वरिष्ठ लेखा परीक्षक/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी
(ख) क्या कोई ऐसा अनुपात निर्धारित है जिसके अनुसार (क) के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में पदोन्नति की जानी है ?	हॉ। विवरण संगलग्न तीन है।
6. ज्येष्ठता सूची -	संलग्नक चार में है।
(क) क्या सभी पात्र अभ्यर्थियों का उन प्रतिनियुक्ति पर हो, उनकी भर्ती की रीति (उदाहरणार्थ) सीधी भर्ती पदोन्नति आदि का उल्लेख करते हुए सम्मिलित किया गया है ?	हॉ।
(ख) क्या सूची अन्तिम रूप दिये जाने के पहले सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रसारित की गयी थी ?	कोटिक्रम सूची अन्तिम रूप दिये जाने से पहले सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रसारित की गयी थी।
(ग) क्या पदोन्नति के रूप में सभी अधिकारियों की नियुक्तियां आयोग के परामर्श से की गयी। यदि हॉ तो आयोग का पत्र व दिनांक उद्धृत कीजिए।	हॉ।
(घ) क्या ऐसे भी अधिकारी जिसकी ज्येष्ठता अंतिम रूप में तय नहीं की गयी है।	नही।
(च) क्या आयोग की भेजी गयी सूची किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा प्रमाणित है ?	हॉ।
(छ) चयन समिति को पिछली बार सूची भेज देने के बाद क्या उसमें परिवर्तन हुआ है, विवरण दीजिए ?	नही।
(ज) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए क्या कोई ऐसे अधिकारी हैं जो न्यूनतम सेवा, शैक्षिक अर्हताएं, आयु आदि के कारण पदोन्नति का पात्र नहीं है ?	नही।
7. यदि कोई हो तो भर्ती किए हुए स्थायी कर्मचारी की मौलिक नियुक्ति का जो प्रयास है, उसके लिए नियुक्ति (ख) विभाग के कार्यालय ज्ञाप .... दिनांक............... के अनुसार कृपया सन्दर्भ लिये और तत्सम्बन्धी विवरण का यहां उल्लेख कीजिए।	लागू नही।

8. पदोन्नति का मापदण्ड योग्यता का ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता है।	अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 2003 के अनुसार
9. अर्हताए, यदि कोई हो–	नही।
10. आयु सम्बधी प्रतिबंध, यदि कोई हो	नही।
11. चरित्र पंजिकाए	
(क) नियमाधीन जितने पात्र अधिकारियों के सम्बन्ध में विचार करना अपेक्षित हो, क्या सभी की चरित्र पंजिकाएं संलग्न हैं?	हॉ।
(ख) क्या चरित्र पंजिकाएं संलग्न हैं?	हॉ।
12. क्या चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए मामले/मामलों के रिक्तवार स्वतः पूर्ण विवरण पत्र (चार प्रतियों में) विचार किया गया है?	
13. उन सभी सदस्यों के पदनाम और टेलीफोन नम्बर जो बैठक में उपस्थित होंगे।	1. आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका अध्यक्ष/सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा। 2. सचिव वित्त। 3. उसी विभाग या अन्य विभाग का सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई ज्येष्ठ अधिकारी।

टिप्पणी : मद संख्या 5, 8, 9 और 10 में दिये गये विवरण आदि यदि नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप है तो कृपया प्रत्येक के अधीन इस बात का उल्लेख करें कि क्या प्रश्नगत तथ्य आयोग के परामर्श से निर्गत किये गये हैं। किस आदेश के प्रतिपादित सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है? कृपया पूर्व निर्देश को उद्धृत करें।

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम .... निदेशक

कोषागार एवं वित्त सेवायें

उत्तराखण्ड, देहरादून

संलग्नक-दो

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी के सृजित एवं चयन वर्ष 2011-12 में रिक्त पदों का विवरण - 50% सीधी भर्ती एवं 50% पदोन्नति से

कुल सृजित पद- 11

क0	विवरण	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	पदोन्नति से भरे जाने वाले (50 प्रतिशत तक पद)	06	
2.	पदोन्नति से भरे जाने वाले अनारक्षित श्रेणी के पद	04	
3.	पदोन्नति से भरे जाने वाले आरक्षित श्रेणी के पद	02	
4.	पदोन्नति से भरे पद अनारक्षित श्रेणी के पद	01	यह पद दिनांक 30.06.2012 को श्री नवीन चन्द्र पाण्डेय, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होगी। अतः इस रिक्ति का प्रस्ताव भी नीचे लिखे गय के कमांक 6 पर 03 पदों के साथ में प्रेषित किया जा रहा है। शासनादेश सं0 507/का-1/97 लखनऊ 23 जनवरी, 1998 के अनुसार। (शासनादेश संलग्न) 5
5.	पदोन्नति से भरे पद आरक्षित श्रेणी के पद	-	
6.	पदोन्नति से भरे जाने वाले अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पद	03 +1	1. अनारक्षित पद पर कार्यरत जिला सम्परीक्षा अधिकारी, श्री आदित्य नारायण मिश्रा के शा0सं0 88/XXVII(6)/2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 के अनुपालन में दिनांक 16.03.2012 कार्य भार ग्रहण करने के फलस्वरूप रिक्त है। 2. अनारक्षित पद - श्री गोविन्द सिंह नेगी के शा0सं0 88/XXVII(6)/2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 के अनुपालन में दिनांक 16.03.2012 कार्य भार ग्रहण करने के फलस्वरूप रिक्त है। 3. श्री भैरव दत्त तिवारी के शा0सं0 88/XXVII(6)/2012 दिनांक 15 मार्च, 2012 के अनुपालन में दिनांक 16.03.2012 कार्य भार ग्रहण करने के फलस्वरूप रिक्त है। 4. श्री नवीन चन्द्र पाण्डेय, जिला सम्परीक्षा अधिकारी दिनांक 30.06.12 को सेवानिवृत्त होने के कारण।
7.	पदोन्नति से भरे जाने वाले आरक्षित श्रेणी के रिक्त पद	02	पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित श्रेणी का पद भरा नहीं जा सका है।

निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवायें
उत्तराखण्ड, देहरादून

सेलग्नक - 5

के आदेशों का अनुपालन संबंधित विभागों द्वारा नहीं किया जा रह ... किये हुए शिशिक्षुओं में असंतोष है।

2. पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और यदि इस हेतु संबंधित सेवा नियमावली में कोई संशोधन की अपेक्षा हो तो तत्काल सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित किया जाये। अप्रेन्टिस प्राप्त किये हुए शिशिक्षुओं को वरीयता प्रदान करते हुए उनके समायोजन की कार्यवाही उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

आर० एस० माथुर,
मुख्य सचिव।

29

संख्या-507/का-1/97

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 23 जनवरी, 1998

विषय :- रिक्ति के वर्ष की अवधारणा।

महोदय,

सेवा नियमावलियों में चयन वर्ष की परिभाषा निम्नवत् होती है :-

"प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि।"

2. उक्त के अनुसार एक चयन वर्ष में घटित होने वाली रिक्तियों की गणना कर उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में शासन के समक्ष यह तथ्य संज्ञान में आया कि, 30 जून को घटित होने वाली रिक्ति की गणना उसी चयन वर्ष में की जायेगी या अनुवर्ती (अगले) चयन वर्ष में उक्त रिक्ति को सम्मिलित किया जायेगा।

3. इस विषय में शासन को प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार 30 जून को रिक्ति उसी चयन वर्ष की रिक्ति मानी जायेगी। उदाहरण स्वरूप 30 जून, 1996 की रिक्ति प्रथम जुलाई, 1995 से प्रारम्भ चयन वर्ष 1995-96 की मानी जायेगी।

4. अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करना कृपया सुनिश्चित कर लें।

भवदीय,
सुधीर कुमार,
सचिव।

अध्याय 1]

अधोहस्ताक्षरी को
विचारोपरांत यह निर्णय
कार्य प्रभावित अधिष्ठान
वित्तीय नियम संग्रह ख
समाप्त किये जाने की स
2. एतद् विषयक
संलग्नक -- यथो

नी कार्यप्रभावित अधिष्ठान
प्रस्तर-667, 668 व 66

A

Delete :
B—Work-charg
Condition of Er
Para 667, 668 a

नियमावली

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या- आडिट-2372/दस-85-362(3)/ए/81
लखनऊ: दिनांक, अगस्त 9, 1985

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल ------ उत्तर प्रदेश (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1985

भाग एक- सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 1985 कही जायगी । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
सेवा की प्रास्थिति	2-	उत्तर प्रदेश (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा में समूह "ख" और समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं ।
परिभाषाएं	3-	जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली, में, -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पदों के सम्बन्ध में सचिव से है और अन्य पदों के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से है,

(ख) "लेखा परीक्षक" का तात्पर्य निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से है,

(ग) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(घ) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(ड.) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(च) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश से है,

(छ) "जिला लेखा परीक्षा अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से है और इसके अन्तर्गत प्राध्यापक, लेखा परीक्षक प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद भी है,

(ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(झ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ञ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ट) "संगठन" का तात्पर्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षा संगठन उत्तर प्रदेश से है,

(ठ) "सचिव" का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार वित्त विभाग से है,

(ड) "ज्येष्ठ लेखा परीक्षक" का तात्पर्य निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से है और इसके अन्तर्गत ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, श्रेणी-एक भी है,

(ढ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश (स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा से है,

.... 3

[illegible] "[illegible] नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति [illegible] जो [illegible] नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा [illegible] विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और

[illegible] "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4- (1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

[illegible] जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी:-

	स्थायी	अस्थायी
	-	44
(एक) जिला लेखा [illegible] अधिकारी	-	1
(दो) प्राध्यापक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद	-	29
(तीन) [illegible] श्रेणी के ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	-	30
(चार) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक श्रेणी -एक	233	58
(पाँच) [illegible] लेखा परीक्षक	322	57
(छः) [illegible]	555	219

776

परन्तु

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है, या राज्यपाल उसे [illegible] रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित [illegible]।

.... 4

भाग तीन- भर्ती

भर्ती का स्रोत — 5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी :-

(1) **लेखा परीक्षक** -(एक) लेखा परीक्षकों के संवर्ग में 10 प्रतिशत तक पद निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में से ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा जो कम से कम 430-685 रुपये के वेतनमान में हों,

(दो) शेष रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा,

(2) **ज्येष्ठ लेखा परीक्षक** - [illegible] के स्थायी लेखा परीक्षकों में से, जिन्होंने समय-समय पर सरकार द्वारा विहित पाठ्य विवरण के अनुसार अधीनस्थ लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की हो पदोन्नति द्वारा,

परन्तु अधीनस्थ लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्तें ऐसे लेखा परीक्षकों की पदोन्नति के मामले में नहीं लागू होगी जिन्होंने इस रूप में कम से कम 20 वर्ष की सेवा [illegible] हो।

(3) **ज्येष्ठ लेखा परीक्षक श्रेणी- एक** - स्थायी ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा।

(4) **जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/ प्राध्यापक स्थानीय निधि लेखा प्रशिक्षण [illegible]** - 50 प्रतिशत स्थायी ज्येष्ठ लेखा परीक्षक [illegible] और ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

(5) **टिप्पणी** :- जिला लेखा परीक्षा अधिकारी और प्राध्यापक, स्थानीय निधि लेखा [illegible] प्रशिक्षण संस्थान के पद [illegible] संवर्ग में हैं।

आरक्षण :- [illegible] अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

.....

भाग चार- अर्हतायें

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

....6

शैक्षिक अर्हता : लेखा परीक्षक या जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/प्राध्यापक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देव नागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए ।

अधिमानी अर्हता 9 : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु 10 : सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष रिक्तियां विज्ञापित की जायें उसके आगामी वर्ष की पहली जनवरी को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र 11 : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी - संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति 12 : सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और ऐसी महिला ......

न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी

शर्तें हो :-

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

स्वास्थ्य 13 — किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को सीधी नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि:-

(क) राजपत्रित पद के मामले में वह चिकित्सा परिषद्‌ द्वारा चिकित्सा परीक्षा में [illegible] |

(ख) अन्य पदों के मामले में वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे ।

भाग पाँच — भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 14 — नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15 — (1) लेखा परीक्षक या जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक प्रशिक्षण [संरक्षण] के पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिये आवेदन पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जो भुगतान किये जाने पर, यदि कोई हो, आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

... 8

जिस [illegible] अभ्यर्थी को परीक्षा में [illegible] सम्मिलित नहीं किया जायगा

[illegible] उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र न हो ।

[illegible] पदों की स्थिति में :-

[illegible] जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के पदों की स्थिति में :-

[illegible] आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और तालिका तैयार करने के

[illegible] नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य

[illegible] श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में

रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा, जितने लिखित परीक्षा के

परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा [illegible] में निर्धारित स्तर तक पहुँच सके

हो । साक्षात्कार में प्र[illegible] अंक लिखित परीक्षा में उनको प्राप्त

अंकों में जोड़ दिये जायेंगे ।

(ख) आयोग उनकी [illegible] उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार [illegible] प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से

प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा [illegible] अभ्यर्थियों के लिये संस्तुति करेगा जितने

नियुक्ति के लिये [illegible] अधिक अभ्यर्थी कुल योग में

बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें [illegible] लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने

वाले अभ्यर्थी का [illegible] सूची में [illegible] जायेगा । सूची में नामों की

संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं होगी ।

आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

4- [illegible] पदों की स्थिति में, आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम

प्राप्त होने और [illegible] नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जन जातियों और अन्य [illegible] का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित

करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए [illegible] अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता-क्रम

में जैसा लिखित परीक्षा में [illegible] अभ्यर्थी [illegible] अंकों से प्रकट हो संस्तुति करेगा

जितने कि नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझे । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर

अंक प्राप्त करें [illegible] उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा ।

सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा

नहीं होगी । आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

....9

१९१

प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्य विवरण और नियम ऐसे होंगे जो

[illegible] आयोग के परामर्श से विहित किये जायँ ।

[illegible] 2 इस नियमावली के प्रारम्भ के समय लेखा परीक्षकों की भर्ती के लिये

[illegible] परीक्षा से सम्बन्धित विहित पाठ्य विवरण और नियम परिशिष्ट में

[illegible] हैं ।

[illegible] - 3 इस नियमावली के प्रारम्भ के समय जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों की

[illegible] लिये प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्य - विवरण और नियम वही हैं जो आयोग

[illegible] संचालित संयुक्त राज्य वित्त लेखा और लेखा परीक्षा सेवा की परीक्षा के लिये

[illegible] है किन्तु लेखा परीक्षा और लेखा शास्त्र का एक अतिरिक्त अनिवार्य प्रश्न-पत्र

[illegible] होगा ।

[illegible] द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 16 | (1) लेखापरीक्षक और जिला लेखा परीक्षा

[illegible] प्रशिक्षण संस्थान के पद पर

[illegible] / प्राध्यापक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक प्रशिक्षण संस्थान के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर,

[illegible] द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर,

[illegible] यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परामर्श चयनोन्नति

[illegible] नियमावली, 1970 के अनुसार की जायगी ।

(2) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक श्रेणी - एक और ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर

पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार

पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) निदेशक जो अध्यक्ष होगा ।

(दो) उपनिदेशक (मुख्यालय) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश ।

(तीन) निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अन्य अधिकारी जो उपनिदेशक के पद से

निम्न पद का न हो ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार

करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ

जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

.... 10

॥4॥ चयन समिति, उपनियम ॥3॥ में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

संयुक्त चयन सूची 17 ॥ यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और
==================

पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायें तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम [सुसंगत] सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा

भाग छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

नियुक्ति 18 ॥ ॥1॥ किसी व्यक्ति को सेवा में किसी पद पर सीधे नियुक्त
============

किये जाने के पूर्व, उसे राज्यपाल के पक्ष में इस आशय का एक अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करना होगा कि दो वर्ष छः मास की सेवा पूरी होने के पूर्व राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये नौकरी छोड़ने से भिन्न स्थिति में, नौकरी छोड़ने की दशा में उसे छः मास के वेतन के बराबर धनराशि से अनधिक धनराशि जो उसे भुगतान की गयी या उस पर व्यय की गयी हो, [वापस] करनी पड़ेगी।

॥2॥ उप नियम ॥3॥ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों।

॥3॥ जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

॥4॥ यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जांय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत ..... ॥

, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा । यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाँय तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम में रखे जायेंगे ।

§2§ नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम §2§ में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियाँ कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियाँ कर सकता है । ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी ।

परिवीक्षा 19 §1§ सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त
============ किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

§2§ नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय:- परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।

§3§ यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

§4§ उपनियम §3§ के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

§5§ नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को ....

परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

विभागीय परीक्षा और प्रशिक्षण 20 ﴿ सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जैसी सरकार समय-समय पर विहित करे ।

स्थायी करण 21 ﴿ किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि -

﴾क﴿ उसने विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो उत्तीर्ण कर ली हो,

﴾ख﴿ उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

﴾ग﴿ उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

﴾घ﴿ उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

﴾ङ﴿ नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता 22 ﴿ ﴾1﴿ एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी ।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति को मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उक्त दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 के उप नियम ﴾...﴿ के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

﴾2﴿ किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की

अवधारित की गयी हो,

...र ज्येष्ठता वही होगी, जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो,

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है

... किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना

...-भार ग्रहण करने में विफल रहे । कारण की युक्ति-युक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति

...धिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

¦3¦ पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही

होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी ।

¦4¦ जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से

अधिक स्रोत से की जाय और स्रोतों का अलग-अलग कोटा विहित हो, वहाँ उनकी

परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार ऐसी रीति से अवधारित की जायेगी कि विहित

प्रतिशत बना रहे :-

परन्तु-

¦क¦ जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से अधिक की जांय, वहाँ कोटा

से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें/जिनमें

कोटा के अनुसार नियुक्तियाँ ... को नीचे रखा जायेगा ।

¦ख¦ जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हो और ऐसी बिना

भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाये, वहाँ इस

प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें

उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस

नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर

रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम, चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे ।

भाग सात - वेतन इत्यादि

==========================

वेतनमान / 20 ¦1¦ सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या

=========== =====

स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान

ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:--

पद का नाम	वेतनमान
(एक) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/ प्राध्यापक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक प्रशिक्षण संस्थान	770-40-1010-द0रो0-50-1300-60--1420-द0रो0-60-1600 स्थायी ।
(दो) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, श्रेणी-एक	625-30-835-द0रो0-30-925-35-1065-द0रो0-35-1240-द0रो0-40-1360 स्थायी ।
(तीन) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	570-25-770-द0रो0-30-950-द0रो0-[illegible]0-1100 स्थायी ।
(चार) चयन श्रेणी ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	850-30-900-द0रो0-30-1190 स्थायी
(पांच) लेखा परीक्षक	470-15-575-द0रो0-15-650-17-701 द0रो0-17-735 स्थायी ।

चयन श्रेणी 24 (1) चयन श्रेणी ऐसे ज्येष्ठ लेखा परीक्षक श्रेणी-एक और ज्येष्ठ लेखा परीक्षक श्रेणी-एक के पद पर पदोन्नति [illegible] ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों को अनुमन्य होगी जिन्होंने ज्येष्ठ लेखा परीक्षक [illegible] नियुक्ति प्राधिकारी के सन्तोषानुसार कम से कम 10 वर्ष की [illegible] सेवा [illegible] हो । [illegible] के आधार पर दी जायेगी

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट चयन श्रेणी [illegible] नहीं दी जायेगी जब तक कि उससे ज्येष्ठ और किसी [illegible] व्यक्ति को चयन श्रेणी नहीं दी जाती हो भले ही कनिष्ठ व्यक्ति ने व्यक्तियों से अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी न कर ली हो भले ही कनिष्ठ व्यक्ति ने आने से ज्येष्ठ व्यक्ति से पहले अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी कर ली हो ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 25 (1) [illegible] रूप में किसी प्रतिकूल परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, [illegible] अवधि में होते हुये भी [illegible] समय-समय पर उसकी [illegible] वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी [illegible] और [illegible] विभागीय [illegible]

अन [illegible] वर्षों की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर [illegible] और [illegible] वेतन वृद्धि [illegible] कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और [illegible]

पश्चात तभी दी जायेगी जब [illegible] ली हो और उसे स्थायी भी [illegible] दिया गया हो,
उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर [illegible]

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी
जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी
जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश दें।

१2१ ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स के अनुसार विनियमित होगा :-

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

१3१ ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में, हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड 26 किसी व्यक्ति को :-

===================================

१एक१ प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

१दो१ द्वितीय या तृतीय या मात्र एक दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परता पूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाये और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग- आठ अन्य उपबन्ध

=======================

पक्ष समर्थन 27 पद या सेवा में सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित

==================

सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

... 16

अन्य विषयों का विनियमन 28 — ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों, और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता 29 — जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह [illegible] दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है:

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति 30 — इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 15 टिप्पणी 2 देखिये]

लेखा परीक्षक के पद के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के नियम और पाठ्यक्रम [illegible]

1— प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे और प्रत्येक विषय के सामने दिये गये अंक होंगे,

-क सभी अभ्यर्थियों को इस भाग के समस्त विषय में परीक्षा देनी होगी ।

	विषय	अंक
1–	अंग्रेजी निबन्ध	100
2–	हिन्दी निबन्ध	100
3–	सामान्य ज्ञान/॥ जिसके अन्तर्गत सामान्य विज्ञान॥	100
4–	प्रारम्भिक गणित	100
5–	बही खाता और लेखा शास्त्र	100
6–	लेखा परीक्षण	100

भाग–ख– अभ्यर्थियों को नीचे दी गयी सूची से एक विषय चुनना होगा ।

7–	व्यापार– संगठन	100
8–	अर्थशास्त्र	100
9–	मुद्रा, बैंकिंग और विनिमय	100
10–	भारतीय उद्योग और स्रोत	100
11–	परिवहन	100
12–	बीमा	100
13–	भारतीय सहकारी संगठन और वित्त	100
14–	वाणिज्यिक विधि	100
15–	सचिवालय कार्य प्रणाली और कम्पनी विधि	100
16–	लोक वित्त	100
17–	उच्च बैंकिंग	100
18–	बाजार –व्यवहार और वित्त	100
19–	लागत लेखा के सिद्धान्त	100
20–	आयकर	100

पाठ्य– विवरण

अनिवार्य विषय

1– अंग्रेजी निबन्ध :– अनेक विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी एक विषय पर अंग्रेजी में

... 18

एक निबन्ध लिखना होगा और अभ्यर्थियों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिये एक अपठित अंश भी प्रश्नों के साथ दिया जायेगा ।

2- हिन्दी निबन्ध :- अनेक विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी एक विषय पर देवनागरी लिपि में हिन्दी में एक निबन्ध लिखना होगा और अभ्यर्थियों की लेखन और आलेखन में योग्यता को परखने के लिये कुछ प्रश्न दिये जायेंगे ।

3- सामान्य ज्ञान :- सामयिक घटनाओं और प्रति दिन के संप्रेक्षण और अनुभव के ऐसे विषयों का ज्ञान है जिसकी शिक्षित व्यक्ति से बिना किसी विशेष अध्ययन के आशा की जा सकती है । प्रश्न साधारणतया ऐसे होंगे जिनके संक्षिप्त उत्तर दिये जा सकें और लोक प्रचलित विज्ञान के अतिरिक्त वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक घटनाओं के ज्ञान से सम्बन्धित होंगे ।

4- प्रारम्भिक गणित :- प्रश्न पत्र में अंक गणित, बीजगणित और ज्यामिति में औसत कठिनाई के सामान्य प्रश्न होंगे । प्रश्न-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा ।

5- बही खाता और लेखा शास्त्र :- लेखा शास्त्र की दोहरी प्रविष्टि पद्धति, दैनिकी प्रविष्टि त्रुटियां, खाता, समायोजन, प्रविष्टियां, लेखा समाधान अन्तिम लेखा, कम्पनियों के अंश लेखन आबंटन और पुनर्गठन सम्बन्धी एकाउन्ट्स समस्यायें, ट्रेडिंग और साझेदारी लेखा, शाखा लेखा, बैंक लेखा ।

6- लेखा परीक्षा :- लेखा परीक्षा का क्षेत्र और उद्देश्य परिनियम के अधीन लेखा परीक्षा सतत और नियतकालिक लेखा परीक्षा, नई लेखा परीक्षा का प्रारम्भ, लेखा परीक्षा कार्यक्रम, आन्तरिक जांच, प्राप्तियों और भुगतान सम्बन्धी वाउचर की जांच, व्यापारिक संव्यवहार की लेखा परीक्षा, आस्तियों और दायित्वों का सत्यापन, आस्तियों का मूल्यांकन लेखा परीक्षकों की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व, अनुमन्य विभाज्य लाभ, प्रकाशित लेखा की समालोचना ।

7- व्यापार संगठन :- एक अच्छे संगठन के आवश्यक तत्व, एकाकी व्यापारी की सीमाएं, साझेदारी और संयुक्त स्टाक कम्पनी, बहुसंख्यक दुकान, विभागीय भण्डार (स्टोर) डाक व्यापार, विज्ञापन, एकाधिकार प्रवृत्तियां, व्यावसायिक संघ, ...

[illegible] कम्पनी [illegible] और वैतिक संघ, [illegible], सूत्रधारी प्रवृत्तियाँ, [illegible] व्यवसाय का आन्तरिक संगठन, उत्पादन प्रबन्ध, [illegible]करण उपज विनियम स्टाक एक्सचेंज बैंकार्ड ।

अर्थशास्त्र – अर्थशास्त्र की [illegible] परिभाषायें, आर्थिक [illegible] की प्रकृति, मांग और [illegible], अनधिमान [illegible] विश्लेषण, [illegible] उत्पादन के कारक, उत्पादन [illegible] की गति शीलता, उत्पादन का [illegible] सिद्धान्त, [illegible] लागत की [illegible] परिस्थितियाँ, मांग और पूर्ति की [illegible] और [illegible] मांग की पूर्ति, मूल्य और [illegible] का संतुलन, [illegible] प्रतियोगिता के अधीन मूल्य, अपूर्ण प्रतियोगिता के अधीन [illegible] [illegible] सिद्धान्त, भूमि और लगान, आभास [illegible] आय, [illegible] उत्पादकता का सिद्धान्त, अनुकूलतम [illegible] श्रम की उपलब्धता [illegible] का सिद्धान्त, व्यवसाय संघ और [illegible] संख्या का सिद्धान्त [illegible], [illegible] सिद्धान्त, [illegible] और मजदूरी दर, पूंजी, ब्याज के [illegible] दर [illegible] के सिद्धान्त, [illegible] [illegible] सिद्धान्त ।

सिद्धान्त, [illegible] की प्रकृति [illegible] सिद्धान्त । [illegible] द्रव्य के कार्य और आर्थिक महत्व द्रव्य

9 – मुद्रा [illegible] और [illegible] – [illegible] सिद्धान्त, धात्विक मानक,
----

के विभिन्न [illegible] और [illegible] मुद्रा [illegible] की नियमित करने की रीति ।
[illegible] नोट [illegible] विभिन्न प्रकार बैंक [illegible]

बैंकिंग [illegible], बैंकों के कार्य और [illegible], भारतीय द्रव्य बैंकिंग, [illegible] बैंक, और [illegible] बैंकिंग [illegible] विनिमय दर बाजार ।

[illegible] सिद्धान्त, विदेशी [illegible] और [illegible]

दर
विनिमय [illegible] ।

10 भारतीय [illegible] और स्रोत – भारतीय [illegible] स्थिति, कर्ई,
----

जूट, [illegible] उत्पादन [illegible] [illegible] और [illegible] विद्युत शक्ति ।
[illegible] की वर्तमान स्थिति ।

[illegible] कोयला, लोहा, अभ्रक [illegible]

[illegible] की स्थिति और [illegible] पेट्रोलियम के [illegible] और विकास की [illegible] ।

औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास की प्रवृत्ति, औद्योगिक वित्त प्रबन्ध, लघु और कुटीर उद्योग संगठन और उनकी समस्यायें, लोहा इस्पात और कपड़ें, सीमेन्ट, रुई और जूट, शक्कर और वनस्पति-तेल, सीमेंट, शीशा, पेट्रोलियम उत्पाद का प्रारम्भिक अध्ययन ।

उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग

11- परिवहन - सामान्य, सड़क, परिवहन रेल, परिवहन, जल परिवहन ।

12- बीमा - सामान्य सिद्धान्त, जीवन बीमा, मृत्यु अनुपात सारिणी, बीमा किस्त पद, जीवन बीमा विधि, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, दुर्घटनाओं की प्रारम्भिक जानकारी और मोटर बीमा ।

13- भारतीय सहकारी संगठन और वित्त - सहकारिता के सिद्धान्त और उत्पत्ति, भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या, भारत में सहकारिता आन्दोलन की उत्पत्ति और भारत में ग्रामीण ऋण की समस्या, भारत में सहकारिता आन्दोलन की उत्पत्ति और विकास, सहकारी बैंकिंग, केन्द्रीय बैंक, शीर्ष बैंक और भूमि प्रबन्धक बैंक, कृषि विकास, सहकारी बैंकिंग, केन्द्रीय बैंक, शीर्ष बैंक और भूमि प्रबन्धक बैंक, कृषि उधार रेतार सहकारी डेरी, सहकारी सेवा, सहकारी खेती और सहकारी विपणन, उपभोक्ताओं का सहयोग, सहकारी आवास, सहकारी शक्कर के कारखाने, बुनकरों की सहकारी समितियां, सहकारी विधान सहकारी प्रबन्ध और नियंत्रण, उत्तर प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन ।

14- वाणिज्यिक विधि - 1- संविदा, 2- अभिकरण, 3- माल का विक्रय, 4- भागीदारी, 5- परक्राम्य विलेख और हुण्डी, 6- दिवालियापन, 7- सामान्य वाहक और स्थल और वायु मार्ग द्वारा माल वहन, 8- बीमा ।

15- सचिवालय कार्य प्रणाली और कम्पनी विधि - किसी कम्पनी का संगठन और निगमन, शेयर का आवंटन, सांविधिक पुस्तकें, किसी कम्पनी के अधिकारी, किसी कम्पनी का समापन ।

.....2

[illegible]

[illegible] बैंक, नोटिस, कार्य सूची, [illegible] की टिप्पणियाँ और [illegible], रिपोर्ट का [illegible] ।

16- लोक वित्त – लोक वित्त, लोक राजस्व, लोक [illegible], लोक ऋण, [illegible] लोक वित्त, वित्तीय प्रशासन, बजट, [illegible], [illegible] नियंत्रण, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व [illegible], [illegible] के मुख्य शीर्षक, [illegible] राष्ट्रीय ऋण, [illegible] वित्तीय प्रशासनिक [illegible] ।

17- उच्च बैंकिंग – बैंकिंग व्यवसाय और विधि, बैंक, [illegible] पत्र, [illegible], बैंक की साख, बैंक द्वारा उधार, भारत में बैंकिंग, विदेशी बैंकिंग, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ ।

18- [illegible] व्यवहार और वित्त – इसकी प्रकृति और क्षेत्र [illegible] की समस्याएँ, [illegible] व्यवहार के विविध प्रकार, [illegible] का विश्लेषण, [illegible] का [illegible], [illegible] विपणन सम्बन्धी विधान, [illegible] का [illegible], [illegible] वित्त, भारत में विपणन [illegible] इत्यादि का विवरण ।

[illegible], स्टाक [illegible] और [illegible] इत्यादि का विवरण ।

19- [illegible] के सिद्धान्त – [illegible] निर्धारित करने की मुख्य पद्धति, लागत पर नियंत्रण [illegible], स्टोर अधिप्राप्ति, [illegible] स्टोर खाता, [illegible] और उनका [illegible], [illegible], [illegible] सम्बन्धी लागत लेखा, [illegible] और [illegible], [illegible] रजिस्टर, [illegible], व्यय का विभाजन, [illegible] स्टाक का मूल्यांकन स्टाक को [illegible] करने [illegible], [illegible] और [illegible] अभिलेखों का विवरण ।

20- आयकर – [illegible], अधिनियम का लागू होना, छूट, आय की मदें, रजिस्ट्रीकृत और [illegible] फर्म, [illegible], व्यक्ति और अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब का कर निर्धारण [illegible] ।

आज्ञा से,

ह0

[illegible]

सचिव वित्त

कार्यालय निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या:- [illegible] I / 87-88/ [illegible] - 1883 दिनांक :- 13 [illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) [illegible] के आशुलिपिक / [illegible] कार्यालय, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ ।

(2) [illegible] निदेशक ।

(3) [illegible] उप निदेशक/सहायक निदेशक/ जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/ वरिष्ठ [illegible] ।

(4) [illegible] [illegible] प्रतियाँ ।

आज्ञा से,

[illegible]

[illegible] शंकर [illegible]

वरिष्ठ लेखा परीक्षक [illegible]

संलग्नक – तीन

दिनांक 24.12.2009 द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी का वेतन बैण्ड ₹ 15600-39100 तथा ग्रेड पे ₹ 5400 में कुल सृजित एवं रिक्त पदों की स्थिति :-

क0	पदनाम एवं वेतनमान	सृजित पदो की संख्या	सृजित पदो के सापेक्ष		वर्तमान में कार्यरत		वर्तमान में रिक्तियां		वर्तमान रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण	
			सीधी भर्ती के पद	पदोन्नति के पद	सीधी भर्ती	पदोन्नति पद	सीधी भर्ती	पदोन्नति पद	आरक्षित श्रेणी के पद	सामान्य श्रेणी
1.	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/ लेखा परीक्षा अधिकारी 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	11	05	06	03	01*	02	05	02	04**
	योग	11	05	06	03	01	02	05	02	04

* 30 जून, 2012 को श्री नवीन चन्द्र पाण्डे, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त हो जायेगा।

** 30 जून, 2012 को होने वाली रिक्ति को जोडा गया है।

उप निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संलग्नक – चार

चयन वर्ष 2011-12 हेतु ज्येष्ठता आधार पर अभ्यर्थियों की पात्रता सूची
(अनारक्षित अभ्यर्थी)

क्र0	नाम/पदनाम	लेखा परीक्षक के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक के पद स्थायीकरण की तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री योगेश चन्द्र, वरिष्ठ लेखा परीक्षक	01.07.79	01.12.81	
2	श्रीमती विजय लक्ष्मी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	12.03.80	01.04.84	
3	श्री विपिन चन्द्र जोशी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	29.02.80	01.04.84	
4	श्री हीरा सिंह धपोला, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	14.03.80 (अपराह्न)	01.04.84	
5	श्री बालादत्त पलडिया सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	04.07.80	01.08.86	
6	श्री जयकृष्ण भट्ट, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	18.08.81	26.10.87	
7	श्री सुरेन्द्र सिंह पुण्डीर, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	16.08.81	26.10.89	
8	श्री गंगा सिंह रावत, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	04.02.84 (अपराह्न)	26.10.87	

ज्येष्ठता आधार पर अभ्यर्थियों की पात्रता सूची
(आरक्षित अभ्यर्थी)

पात्र अभ्यर्थी अनुपलब्ध

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक।

निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवायें
उत्तराखण्ड, देहरादून

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड,
23 – लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून ।

संख्या:- 769/तीन-8(97)/नि0को0वि0से0/2011-12 दिनांक :- 19/9/, 2011

कार्यालय-आदेश

निदेशालय आदेशक 529/तीन-8(97)/नि0को0वि0से0/2011 दिनांक 18 जून, 2011 द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1/वरिष्ठ लेखा परीक्षकों की अंतिम आवंटन के अनुसार अनन्तिम संयुक्त कोटिकम सूची प्रसारित करते हुए, आपत्तियॉ मांगी थी। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में प्राप्त समस्त आपत्तियों तथा संगत समस्त अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त सभी आपत्तियों का निराकरण करते हुए, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1/वरिष्ठ लेखा परीक्षकों की अंतिम ज्येष्ठता संलग्न सूची के अनुसार अंतिम रूप से प्रख्यापित की जाती है।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक।

पृ0सं0:- दिनांक:-

प्रतिलिपिः- समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सम्परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित, कि सम्बन्धित कार्मिकों को अंतिम कोटिकम सूची शीघ्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

(के0एन0दुमका)
उप निदेशक।

कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन के उपरान्त निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इण्टरनल आडिट, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड के सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी/वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1 एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षकों की अन्तिम कोटिक्रम सूची निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालय के आदेश संख्या- अधि0/विविध/क-14 दिनांक 01 जून, 2010 द्वारा क्रमांक 01 से 14 तक, आदेश संख्या- अधि0/विविध-90/07-08/एम-469 दिनांक 18 मई 2007 द्वारा क्रमांक 15 से 34 तक, आदेश संख्या- अधि0/क-70 दिनांक 28.09.2001 क्रमांक 35 से 38 एवं आदेश संख्या- अधि0/क-71 दिनांक 28.09.2001 क्रमांक 39 तक की स्थिति के अनुसार अंतिम कोटिक्रम सूची

क0	उ0प्र0 का कोटिक्रम	नाम	शैक्षिक योग्यता/श्रेणी	गृह जनपद	जन्मतिथि	संवर्ग में प्रथम नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ लेखा परीक्षक/ लेखा परीक्षक के पद पर स्थायीकरण की तिथि	एस0ए0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	वर्तमान धारित पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	59	श्री योगेश चन्द्र अग्रवाल	बी0काम0/सामान्य	मुरादाबाद	12.05.1952	01.07.1979	01.12.1981	1988	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	--
2	121	डा0 विजय लक्ष्मी	पी0एच0डी0गणित, एल0एल0बी0/सामान्य	देहरादून	13.07.1958	12.03.1980	01.04.1984	1986	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	--
3	147	श्री विपिन चन्द्र जोशी	एम0ए0/सामान्य	अल्मोड़ा	01.12.1952	29.02.1980	01.04.1984	1986	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	--
4	150	श्री हीरा सिंह धपोला	बी0ए0/सामान्य	अल्मोड़ा	01.01.1954	14.03.1980 अपरान्ह	01.04.1984	1986	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	--
5	164	श्री बाला दत्त पलड़िया	एम0ए0/सामान्य	नैनीताल	14.03.1958	04.07.1980	01.08.1986	1986	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	--
6	171	श्री जयकृष्ण भट्ट	बी0एस0सी0/सामान्य	नैनीताल	11.05.1952	18.08.1981	26.10.1987	1986	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	--
7	172	श्री सुरेन्द्र सिंह पुण्डीर	बी0एस0सी0/सामान्य	टिहरी	01.10.1953	16.08.1981	26.10.1989	1989	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	--
8	245	श्री गंगा सिंह रावत	एम0एस0सी0/सामान्य	रूद्रप्रयाग	10.04.1954	04.02.1984 अपरान्ह	26.10.1987	1988	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	--
9	323	श्री ललित मोहन	एम0ए0/सामान्य	नैनीताल	22.02.1956	25.01.1984	26.10.1987	1986	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	--

10	334	श्री अवनिन्द्र उनियाल	बी0काम0 / सामान्य	देहरादून	08.07.1959	25.01.1984	23.06.1988	--	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	स्वा0संग्राम सेनानी आश्रित
11	527	श्री किशन सिंह	बी0काम0 / सामान्य	पिथौरागढ	14.02.1966	01.10.91	01.02.1996	1994	वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1	
12	545	श्री महेश चन्द्र पंत	बी0ए0 / सामान्य	नैनीताल	25.12.1951	28.04.93	01.10.1993	1996	वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1	लिपिक संवर्ग से प्रोन्नत
13	558	श्री किशन स्वरूप	बी0काम0 / पि0जा0	नैनीताल	08.08.1955	24.05.95	01.12.2006	1999	वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–1	--
14	574	श्री महीप कुमार सिंह	एम0काम0 / सामान्य	देहरादून	28.09.1968	01.05.98	12.09.2002	2002	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	--
15	615	श्री संजय कुमार यादव	बी0काम0 / अ0पि0व0	इटावा	03.06.1973	25.04.98	--	2002	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
16	616	श्री अशोक कुमार सिंह	बी0काम0 / सामान्य	सुल्तानपुर	05.08.1972	15.04.98	--	2002	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
17	617	श्री विनय कुमार वर्मा	एम0काम0 / सामान्य	लखनऊ	28.04.1974	30.04.98	--	2002	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
18	618	श्री रईस बाबू	बी0काम / सामान्य	मिर्जापुर	10.01.1970	18.04.98अपरान्ह	--	2002	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
19	647	श्री अयाज अहमद	बी0काम, एल0 एल0 बी0 / अ0पि0व0	इलाहाबाद	14.07.1966	13.04.98	--	2003	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
20	648	श्री कृष्णानन्द चौहान	एम0काम0 / अ0पि0व0	गोरखपुर	01.07.1971	16.04.98	--	2002	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
21	649	श्री राजेश कुमार कुशवाहा	बी0काम / अ0पि0व0	बलिया	02.01.1969	13.04.98	--	2003	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
22	650	श्री बृजबिहारी सिंह कुशवाहा	बी0काम / अ0पि0व0	बलिया	01.07.1972	15.04.98	--	2003	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
23	651	श्री संजय कुमार गुप्ता	एम0काम0 / अ0पि0व0	मऊ	26.01.1974	13.04.98	01.04.2006	2002	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	--
24	678	श्री राजेन्द्र सिंह	एम0काम0बी0एड0 (अ0ज0जा0)	चमोली	20.05.1973	20.04.98	12.09.2002	2002	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	
25	679	श्री शिवेन्द्र मोहन	एम0काम0 / सामान्य	लखनऊ	17.01.1965	16.04.98	--	2002	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
26	680	श्री परमानन्द दीक्षित	बी0काम0 / सामान्य	फतेहपुर	30.08.1960	17.04.98	--	2002	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
27	681	श्री चरन सिंह	बी0काम0 / सामान्य	उधमसिंहनगर	15.06.1966	04.04.98	01.04.2006	2003	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	--
28	682	श्री अनिल कुमार मल्ल	एम0काम0बी0एड0 / सा0	देहरादून	01.02.1965	17.04.98	12.09.2002		वरिष्ठ लेखा परीक्षक	--
29	683	श्री वीरेन्द्र सिंह नबियाल	बी0काम0 / अ0ज0जा0	पिथौरागढ	15.08.1972	27.04.98	12.09.2002	2005	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	--

देशक।

30	684 ए	श्री दया कृष्ण	बी0ए0 / सामान्य	अल्मोड़ा	05.11.1951	18.07.98	01.04.2006	--	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	--
31	691	श्री अनिल कुमार	बी0काम / अनु0जा0	मिर्जापुर	20.01.1970	19.06.06		--	**उ0प्र0 में कार्यरत**	--
32	41	श्री बहादुर सिंह जलाल	बी0ए0 / सामान्य	नैनीताल	26.11.1953	14.06.78	15.09.2009	--	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	लिपिक संवर्ग से प्रोन्नत
33	42	श्री ताराश्वरी दत्त गुरूरानी	बी0ए0 / सामान्य	अल्मोड़ा	25.12.1953	15.0678	26.09.2009	--	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	लिपिक संवर्ग से प्रोन्नत
34	52	श्री त्रिलोचन उपाध्याय	एम0ए0 / सामान्य	पिथौरागढ	28.01.1955	09.01.79	11.09.2009	--	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	लिपिक संवर्ग से प्रोन्नत
35	55	श्री पूरन चन्द्र पाण्डेय	बी0ए0 / सामान्य	नैनीताल	20.11.1955	20.01.79	30.08.2009	--	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	लिपिक संवर्ग से प्रोन्नत
36	100	श्री कमल किशोर	बी0ए0 / अ0जा0	पौड़ी	15.06.1959	13.06.86	11.09.2009	--	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	लिपिक संवर्ग से प्रोन्नत

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सेवा नियमों में विहित प्राविधानों के अनुसार कोई भी ज्येष्ठ/पात्र कार्मिक जो सभी अर्हतायें पूर्ण करते हैं पात्रता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं रह गये हैं।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, के पद पर पदोन्नति हेतु अधियाचन में संलग्न पात्रता सूची में अंकित अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिकों के संवर्गो में पदोन्नति के रिक्त पदों के भरे जाने हेतु बनायी गयी पात्रता सूची में उल्लिखित कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची निर्विवादित है।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक।

प्रमाण पत्र

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टेट इण्टरनल आडिट उत्तराखण्ड के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी वेतनमान ₹ 15600-39100 तथा ग्रेड वेतन ₹ 5400 में कार्यरत सर्व श्री आदित्य नारायण मिश्र, श्री गोविन्द सिंह बिष्ट एवं भैरव दत्त तिवारी की पदोन्नति दिनांक 16.03.2012 सहायक निदेशक के पद पर होने से 03 पद एवं दिनांक 30.06.2012 को श्री नवीन चन्द्र पाण्डेय की सेवानिवृत्त के कारण 01 पद इस प्रकार कुल 04 पदों की चयन वर्ष 2011-12 में रिक्ति उद्घाटित हो रही है।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक।

जिला सम्परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की 10 वर्षों की वार्षिक चरित्र पंजिकाओं का सारांश

क्र०सं०	अधिकारियों का नाम	प्रविष्टियों का वर्ष										अभ्युक्ति
		2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	
1	श्री योगेश चन्द्र अग्रवाल	अतिउत्तम	संतोषजनक	अप्रैल 03 से अगस्त 03 संतोषजनक, 21.8.03 से 31.3.04 खराब	अप्रैल 04 से जून 04 संतोषजक, 28.6.04 से 31.3.05 अच्छा	1.4.05 से 30.10.05 उत्तम	अतिउत्तम	1.4.07 से 18.7.07 उत्तम, 8.8.07 से 31.3.08 उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्तम	1.4.10 से 26.1.11 अतिउत्तम	31/5/12 [illegible]
2	श्रीमती विजय लक्ष्मी	उत्तम	अच्छा	अतिउत्तम	उत्तम	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	अतिउत्तम	2.7.08 से 31.3.09 अतिउत्तम	अतिउत्तम	1.4.10 से 30.8.10 अतिउत्तम, 31.8.10 से 31.3.11 उत्कृष्ट	
3	श्री विपिन चन्द्र जोशी	उत्तम	अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	1.4.06 से 11.9.06 अतिउत्तम, 13.9.06 से 31.1.07 उत्तम	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	
4	श्री हीरा सिंह घपोला	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	21.6.07 से 31.3.08 उत्तम	9.7.08 से 18.10.08 अतिउत्तम, 19.10.08 से 31.3.09 अतिउत्तम	1.4.09 से 9.2.10 उत्कृष्ट	1.4.10 से 30.9.10 उत्कृष्ट, 4.10.10 से 31.3.11 अतिउत्तम	
5	श्री बाला दत्त पलड़िया	अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	[illegible] से 31.3.07 अतिउत्तम	अतिउत्तम	7.7.08 से 31.1.09 अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	
6	श्री जय कृष्ण भट्ट	उत्तम	उत्तम	उत्कृष्ट	13.10.04 से 31.3.05 उत्कृष्ट, 1-4-04 से 12-10-04 तक उत्तम	[illegible]	[illegible] से 31.3.07 अतिउत्तम	21.6.07 से 31.3.08 अतिउत्तम	उत्कृष्ट	अतिउत्तम	1.4.10 से 2.11.10 उत्कृष्ट, 3.11.10 से 31.3.11 अतिउत्तम	
7	श्री सुरेन्द्र सिंह पुण्डीर	अतिउत्तम	अतिउत्तम	अतिउत्तम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	1.4.08 से 28.2.09 उत्कृष्ट	9.7.09 से 31.3.10 उत्कृष्ट	अतिउत्तम	
8	श्री गंगा सिंह रावत	5.11.01 से 31.3.02 उत्तम	उत्तम	उत्तम	उत्तम	[illegible]	[illegible] से 31.3.07 उत्तम	अतिउत्तम	उत्तम	अतिउत्तम	4.5.10 से 31.3.11 उत्कृष्ट	

निदेशक